

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 174/2016

संस्थापन दिनांक 06.04.2016

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड
म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—दीवानसिंह पुत्र विद्यारामसिंह गुर्जर उम्र 50 वर्ष
 - 2—रामवरनसिंह पुत्र विद्यारामसिंह गुर्जर उम्र 39 वर्ष
 - 3—रामस्वरूपसिंह पुत्र विद्यारामसिंह गुर्जर उम्र 47 वर्ष
 - 4—करतारसिंह पुत्र विद्यारामसिंह गुर्जर उम्र 30 वर्ष
 - 5—मानवेन्द्रसिंह उर्फ मुनेन्द्र पुत्र दीवानसिंह गुर्जर उम्र 22 वर्ष
 - 6—शिशुपालसिंह पुत्र दीवानसिंह गुर्जर उम्र 25 वर्ष
- निवासीगण ग्राम जुमलेदार का पुरा थाना मालनपुर
जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर धारा 147, 294, 506 भाग दो भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 324/149 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 08.02.16 को 10:00 बजे फरियादी नाथूसिंह अ0सा01 की हंसिये से आरोपी दीवानसिंह द्वारा मारपीट सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कर स्वेच्छा उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 08.02.16 को फरियादी नाथू अ0सा01 जब मालनपुर में फ्लेक्स फैक्ट्री में कार्य कर रहा था तब 8:45 बजे उसकी पत्नी कोमेस ने फोन से सूचना दी थी कि आरोपी दीवान की

पत्नी शीला ने नाली का गंदा पानी उनके आंगन में डाल दिया और टोकने पर शीला उटपटांग बोलने लगी। सूचना पर नाथू अ०सा०१ फैक्ट्री से निकलकर घर पहुंचा और दीवानसिंह से उलाहना की इस बात पर आरोपीगण एकराय होकर इकट्ठा हो गये और मां-बहन की अश्लील गालियां देने लगे। गाली देने से मना करने पर दीवानसिंह ने नाथू अ०सा०१ के हंसिया मारा जो बांये हाथ की कलाई पर लगा खून निकल आया शिवपाल ने उसे डण्डा मारा शेष आरोपीगण ने चांटे मारे। कोमेस व जितेन्द्र ने बीचबचाव कराया परन्तु मोहल्ले के लोग बचाने नहीं आये। आरोपीगण ने आइन्दा जान से मारने की धमकी दी। तत्पश्चात फरियादी नाथूसिंह अ०सा०१ ने थाना मालनपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी-1 दर्ज कराई जिस पर आरोपीगण के विरुद्ध अप०क्र० 18/16 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या घटना दिनांक 08.02.16 को 10:00 बजे फरियादी नाथूसिंह अ०सा०१ की हंसिये से आरोपी दीवानसिंह द्वारा मारपीट सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कर स्वेच्छा उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. फरियादी नाथूसिंह अ०सा०१ ने कथन किया है कि आरोपीगण उसके भाई हैं। दिनांक 08.02.16 को उसकी गैस फैक्ट्री में ड्यूटी थी तब उसे खबर आई थी कि आरोपीगण की औरतें उसके घर की औरतों से लड़ रही हैं तब वह घर पहुंचा और आरोपीगण को समझाने लगा तो आरोपीगण उससे मुंहवाद करने लगे और अश्लील गालियां देने लगे इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। उसने और उसकी पत्नी ने थाने पर जाकर रिपोर्ट प्र०पी-1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र०पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसकी हंसिये से मारपीट की थी। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि दीवानसिंह ने उसे बांये हाथ की कलाई में हंसिया मारा था और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र०पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
6. अतः स्वयं आहत नाथूसिंह अ०सा०१ ने आरोपी दीवानसिंह द्वारा उसके हाथ में हंसिये से चोट पहुंचाया जानेसे इंकार किया है। उक्त साक्षी प्रत्यक्ष आहत साक्षी होकर मामले में फरियादी है जोकि महत्वपूर्ण साक्षी हैपरन्तु उसी के द्वारा विचारणीय प्रश्न पर अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है और आरोपीगण द्वारा उपहति पहुंचाये जाने से इंकार किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता

है कि आरोपीगण ने दिनांक 08.02.16 को 10:00 बजे फरियादी नाथूसिंह अ0सा01 की हंसिये से आरोपी दीवानसिंह द्वारा मारपीट सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कर स्वेच्छा उपहति कारित की।

7. परिणामतः आरोपीगण को धारा 324/149 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
8. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
9. प्रकरण में जप्त हंसिया व लाठी अपील अवधि पश्चात नष्ट की जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0